99/2021/I/91054/2021-71-2099/514/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 अगस्त, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान में निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के तृतीय एवं चतुर्थ तल पर प्रयोगशाला की लैब हेतु फर्नीचर की आपूर्ति/स्थापना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1754/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/सि0/2021, दिनांक 17 अगस्त, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान में निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के तृतीय एवं चतुर्थ तल पर प्रयोगशाला की लैब हेतु फर्नीचर की आपूर्ति/स्थापना हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-02/2019/2445/71-2-2018-आर0एम0-25/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2019 संस्थान में निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के तृतीय एवं चतुर्थ तल पर प्रयोगशाला की लैब हेतु फर्नीचर की आपूर्ति/स्थापना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0 418.91 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 209.45 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के तृतीय एवं चतुर्थ तल पर प्रयोगशाला की लैब हेतु फर्नीचर की आपूर्ति/स्थापना द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 209.46 लाख (दो करोड नौ लाख छियालिस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
3. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. निदेशक संस्थान द्वारा कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर, शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाय।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्बा करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
6. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या-02/2019/2445/71-2-2018-आर0एम0-25/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2019 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" से रू0 209.45 लाख के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।